

न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिमाना जिला सुबुलु

गु०न०	किस्म गु०	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
40/19	धारा 91	18.7.19	06.08.19

उनवान सरकार बनाम हंसराग, गौरराम पुत्र रामेश्वर नाति गुर्जर नि० कुडानिया तहसील बुधाना जिला सुबुलु

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपस्थित। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी ने सन्वत् 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम कुडानिया की राजकीय भूमि गै०गु० नाला ख०न० 23A रकबा 0.50 किस्म गै०गु० नाला ने से 0.04 है० भूमि पर अतिकमी हंसराग, गौरराम पुत्र रामेश्वर नाति गुर्जर नि० कुडानिया तहसील बुधाना ने अवैध रूप से वाजरा काश्त कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी उपस्थित हुआ। प्रा०पत्र पेश किया गया जो पत्रावली शांतील किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का महत्ता से मन्तव्य किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो कविज नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अवरूप है। अतः उक्त अतिकमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है। व जैर वहस रिपोर्ट पटवारी पर से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।


अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये वाजरा की फसल कर के दण्ड स्वरूप अतिक्रमण शुद्ध भूमि के लगान 0.28 की 50 गुणा जुर्माना राशि 14 /- रु वतौर शारित कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/गु०अ०नि०/पटवारी हल्का को वारते नगा कायमी/वेदखली/ वसुली/ कर राशि राज कोष में नगा करवाने हेतु लिखा जावे। गु० अ०नि० को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वारतविक रूप से वेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली वाद तकमील तागिल दारिखल दफतर हो तथा नगर से कम होकर दर्ज फैसला हो।

आज दिनांक 06.08.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



नायब तहसीलदार


 १९२० ... १५ ...
 ...

...